



BRSM College of Agricultural Engineering and Technology & Research Station
IGKV, Pandariya Road, Mungeli – 495334 (C.G.)
बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
इं.गॉ.कृ.वि., पंडरिया रोड, मुंगेली – 495334 (छ.ग.)
Cell : 9589353415, Email : brsmcaetrs@gmail.com

क्रमांक/सीईटी/अ.सं./छात्रवृत्ति/2020/283 मुंगेली, दिनांक : 01/10/2020

सूचना

इस महाविद्यालय में अध्ययनरत वर्ष 2020–21 में प्री. मैट्रिक/ पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स (इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य तकनीकीय स्तर के लिए) ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर ऑनलाईन की प्रक्रिया कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली के पत्र क्रमांक/अ.सं.छा./2020–21/714 मुंगेली दिनांक 23.10.2020 के पत्र के तारतम्य में ऑनलाईन की प्रक्रिया संपादित किये जाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस संस्था के अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय) के छात्र/छात्राएं दिनांक 31/10/2020 तक सम्पूर्ण प्रक्रिया करना सुनिश्चित करें तथा ऑनलाईन किये गये आवेदनों एवं समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन तिथि के 01 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा जा सके। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. विगत वर्ष की परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक (कक्षा 1लीं को छोड़कर) होना आवश्यक है।
3. आवेदक का आधार नंबर होना आवश्यक है।
4. अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आयक प्री. मैट्रिक के लिए 1.00 लाख, पोस्ट मैट्रिक 2.00 लाख एवं मेरिट कम मीन्स वार्षिक आयक 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक का स्वयं का बैंक खाता नंबर होना आवश्यक है।


अधिष्ठाता

पृष्ठां.क्रमांक/सीईटी/अ.सं./छात्रवृत्ति/2020/
प्रतिलिपि :-

मुंगेली, दिनांक : 01/10/2020

1. महाविद्यालयीन नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
2. कन्या/ बालक छात्रावास नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

अधिष्ठाता

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास), मुंगेली

न्यू कलेक्टरेट भवन, कक्ष क्र० 221 // 226 जिला-मुंगेली (छोगो)

फोन नं० - 07755.264122

ई-मेल-actdmungeli@gmail.com

क्रमांक / अ.सं.छा. / 2020-21 /
प्रति,

714

/ मुंगेली, दिनांक 23 / 09 / 2020

प्रधानपाठक / प्राचार्य,

शास० / अशा० प्राथमिक / माध्यमिक / हाई स्कूल /

हायर सेकेण्ड्री / महाविद्यालय

विकास खण्ड-मुंगेली / लोरमी / पथरिया

जिला मुंगेली (छ.ग.)

विषय :- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राओं को प्री.मै. / पो.मै. एवं मेरिट कम मीन्स वर्ष 2020-21 में ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल ओपन होने के संबंध में।

संदर्भ :- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक / अ.सं.छा. / पो.मै. / न.क.-02 / 19-20 / 4397 / रायपुर, दिनांक 21.09.2020

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि वर्ष 2020-21 में प्री. मैट्रिक / पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स (इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य तकनीकीय स्तर के लिए) ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर ऑनलाईन की प्रक्रिया संपादित किये जाने हेतु ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। ऐसे संस्थायें जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय) के छात्र / छात्राएँ अध्ययनरत् हैं। ऐसे संस्थाओं के संस्था प्रमुख ऑनलाईन पोर्टल पर प्रक्रिया कर प्रविष्टी पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तिथि विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	योजना का नाम	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	संस्था द्वारा Verification की अंतिम तिथि
1	प्री मैट्रिक / पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	31.10.2020	15.11.2020

अतः समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं का आवेदन निर्धारित तिथि को ऑनलाईन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कर प्रविष्टी कराना सुनिश्चित करें, तथा ऑनलाईन किये गये आवेदनों एवं समस्त दस्तावेजों की प्रति सहित आवेदन तिथि के 05 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा जा सके। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थियों छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेंगे। इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास मुंगेली

/ मुंगेली, दिनांक 23 / 09 / 2020

पृ० क्रमांक / अ.सं.छा. / 2020-21 /
प्रतिलिपि :-

715

1. कलेक्टर, जिला मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप संचालक, जिला जनसंपर्क मुंगेली, जिला मुंगेली छ.ग. कृपया जिला स्तरीय स्थानीय दो प्रमुख समाचार पत्रों में एक-एक दिवस के अंतराल में तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली जिला-मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मुंगेली / लोरमी / पथरिया आप अपने विकास खण्ड अधिनस्थ समस्त शासकीय / अशासकीय संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करें

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास मुंगेली